कार्यालय प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग,कानपुर

पत्रांक 753 /14-1 दिनांक, कानपुर,23-08-2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कानपुर मण्डल,
कानपुर

विषयः– साउथ ईस्ट यू०पी० पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 765 के०वी० सिंगल सर्किट मैनपुरी–बारा सर्किट–1 पारेषण लाइन के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 18 वृक्षों के पातन, कानपुर देहात में प्रभावित 0.8064 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 37 वृक्षों के पातन, प्रयागराज में प्रभावित 0.4288 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात 14.8394 हे० वनभूमि एवं बाधक 2460 वृक्षों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4145 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 9 वृक्षों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 0.3456 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 220 वृक्षों के पातन तथा फतेहपुर वन प्रभाग में प्रभावित 2.1504 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 67 वृक्षों के पातन कुल 5.4913 हे० संरक्षित एवं 14.4106 हे० आरक्षित अर्थात कुल 19.9019 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2811 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–60/11–सी–FP/UP/TRANS/15538/2015, लखनऊ दिनांक 07.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में कानपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत उल्लिखित कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर संशोंधित प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1.	प्रस्ताव में संलग्न वनभूमि की गणना में प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है।	संशोधित प्रस्ताव के पृष्ठ ंख्या–76 पर संलग्न कर दिया गया है।
2.	प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना वनभूमि में प्रस्तावित करने का औचित्य (जस्टिफिकेशन) प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	पृष्ठ संख्या 70–71 पर संलग्न करके अपलोड कर दिया गया है।
3.	प्रस्ताव में बाधक वृक्षों की सूची संलग्न है , किन्तु ऑनलाइन भाग – २ के अनुसार व्यासवार वैज्ञानिक नाम सहित सारांश संलग्न नहीं किया गया है।	पृष्ठ संख्या 41.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
4.	पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों, जिनका पातन नहीं किया जाना है, वैज्ञानिक नाम एवं व्यासवार सहित सूची संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 41.2 पर संलग्न कर दिया गया है।
5.	प्रस्ताव में संलग्न Geo Referenced Digital Map Geo Coordinate मे संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 106 पर संलग्न कर दिया गया है।
6.	प्रस्ताव में संलग्न एन० पी० वी० की गणना में गणना गलत आगणित की गयी है , अतः सही गणना कर संशोधित एन० पी० वी० की गणना ऑनलाइन अपलोड करें तथा ।ककपजपवदंस प्दवितउंजपवद क्मजंपसेसे पूर्व का डिलीट करें।	संशोधित प्रस्ताव एन० पी० वी० की गणना कर प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–28 पर संलग्न है।
7.	प्रस्तावित वन भूमि के एन० पी० वी० में संशोधन के पश्चात	वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के

	बड़ी हुई एन० पी० वी० की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है।	पृष्ठ संख्या 48.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
8.	गजट नोटिफिकेशन की प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न है किन्तु स्थल चिन्हित नहीं है।	स्थल चिन्हित कर दिया गया है।
9.	प्रस्ताव में संलग्न मलवा उत्सर्जन सम्बन्धी प्रमाण पत्र भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	संशोधित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 69–69.1 पर संलग्न कर दिया गया है।
10.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या – 1,2 एवं 68 पर संलग्न प्रमाण पत्र में प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल गलत अंकित है। अतः सही विवरण अंकित करें।	संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।
11.	प्रस्ताव में संलग्न हार्ड कॉपी भाग –२ में प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्रफल गलत अंकित है।	प्रस्ताव में अंकित वन प्रभाग कानपुर नगर की प्रस्तावित वन भूमि 0.3456 हे0 सही अंकित है।
12.	ऑनलाइन भाग –२ एवं हार्डकॉपी भाग –२ के District Profile में विवरण भिन्न भिन्न अंकित है , अतः सही विवरण अंकित करें।	प्रस्ताव में District Profile का विवरण सही अंकित है।
13	प्रस्ताव के पृष्ठ सं०–68 पर संलग्न लीज रेंट प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करें।	पृथक कर दिया गया है।
14.	तीन वैकल्पिक रुट्स Geo Referenced Digital Map संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–106 पर संलग्न कर अपलोड कर दिया गया है।
15.	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–13 (प से अ तक) में अपलोड किये गए त्रुटिपूर्ण विवरण / अभिलेख को डिलीट करें।	डिलीट कर दिया गया है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीया

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(दिव्या)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
कानपुर